

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: एफ/प्रशा/स्था/2015/9853

दिनांक : 05/11/15

## //सूचना//

कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक: एफ/प्रशा./स्था./2015/9849 दिनांक 05.11.15 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार के दिन साईकिल को छोड़कर समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है।

उक्त आदेश नवम्बर, 2015 माह के दूसरे सोमवार के पश्चात प्रभावशील माना जावेगा।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, समस्त अध्ययनशालाएँ/विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, समस्त विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी एवं छात्र/छात्राओं की ओर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. सुरक्षा प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
10. सम्पादक.....समाचार पत्र की ओर भेजकर निवेदन है कि वे उक्त अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचारवृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

  
उप-कुलसचिव (प्रशा0)